न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :–800/2016

1–पूनीराम पुत्र ग्यारसा

2–रामप्रताप पुत्र ग्यारसा

3–गुलाबचन्द पुत्र चौथमल

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम–श्यामपुरा तहसील कोटखावदा जिला जयपुर राज0।

–अपीलार्थीगण/वादीगण–

बनाम

1.जन्सीराम पुत्र ग्यारसा

2–कानी देवी पुत्री पन्नालाल

3–कमला पत्नि जन्सीराम

4–बद्रीनारायण पुत्र रूपनारायण

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम–श्यामपुरा तहसील कोटखावदा जिला जयपुर राज0।

5–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कार्यालय कोटखावदा जिला जयपुर राज0।

–रेस्पोडेन्टस/प्रतिवादीगण–

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री निर्मल कुमार जैन अपीलार्थी की ओर से।

2– श्री राजेन्द्र डांगरवाडा रेस्पोडेंट की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :–12–01–2018

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 24/05/2016 मु0 नम्बर 236/2014 उनवानी पूनीराम वगे0 बनाम जन्सीराम वगे0 द्वारा उपखण्ड अधिकारी चाकसू प्रस्तुत की गई है।

2–प्रकरण के संक्षैप में तथ्य निम्न प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेंटस द्वारा एक दावा बाबत तकासमा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बरान कुल किता 31 कुल रकबा 8.97 हैक्टेयर वाके–ग्राम श्यामपुरा पटवार हल्का देहलाला तहसील कोटखावदा जिला जयपुर के बाबत तकासमा चाहा गया। वादीगण अपने वाद पत्र में कथन किया गया वादग्रस्त भूमि पर

राजस्व अपील प्रा... जयपुर

पक्षकारान बाहमी बंटवारा कर काश्त करते चले आ रहे हैं। आपसी सहमति के बंटवारे में वादी सख्या 1 को खसरा नम्बर 371 व उसके लगवा भूमि मिली थी जिस पर वादी सख्या 1 के पुत्र कैलाश ने दो पुख्ता कमरे भी बनाये है। इसी प्रकार अन्य वादीगण ने भी अपने अपने कब्जे की भूमि पर निर्माण आदि कर रखे है। वादीगण द्वारा अपने हिस्से की भूमि का विधिवत विभाजन किये जाने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेघाज्ञा पाबंद किये जाने का अनुतोष चाहा गया। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16–6–2015 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई तथा दिनांक 24–5–2016 को अंतिम डिक्री जारी की गई जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3–अपीलान्ट्स द्वारा अपनी अपील मीमों में कथन किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध अभिवचनों व दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने परवर्श होने के कारण निरस्तनीय है।न्याय आपके द्वार अभियान में पक्षकारो को उपस्थित होने बाबत कोई भी नोटिस जारी नही किया गया ना ही पक्षकारो को उस दिन की सूचना दी गई ना ही कुर्रेजात रिपोर्ट दिखाई गई तथा पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में ही सीधे मनमाने तरीके से अंतिम डिक्री कर दिया जिस कारण उक्त निर्णय निरस्तनीय है।दिनांक 24/05/2016 को राजस्व कैम्प में वादीगण व प्रतिवादीगण व उनके अधिवक्ता उपस्थित नही थे ना ही उनके अधिवक्ता के हस्ताक्षर है इन सबके बावजूद उपस्थिति, बहस आदि दिखाकर मनमाने तरीके से उक्त डिक्री पारित कर दी है।प्रतिवादी नम्बर 2 का देहान्त दौराने दावा हो गया था जिसके बाबत प्रतिवादीगण ने भी कोई भी सूचना न्यायालय को नही दी। प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय ने अपनी आदेशिका में प्रतिवादी नम्बर 2 को मृत्नक बताया गया है उसके बावजूद बिना मृतक के कायम मुकाम को रिकॉर्ड पर लिये मृतक के खिलाफ उक्त डिक्री पारित की गई है जो प्रथम दृष्टया ही कानून के खिलाफ होने के कारण निरस्तनीय है।प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट में खसरा नम्बर 353/2 जो कि अपीलार्थी नम्बर 3 के कब्जे काश्त में है को रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 के नाम लगा दिया गया जो पूर्णतया गलत है। खसरा नम्बर 353/2, 352, 349 मुख्य रोड के नम्बर है किन्तु अपीलार्थीगण को उक्त नम्बर नही दिये गये इसके अलावा खसरा नम्बर 349 के पास से मेड पर कदीमी रास्ता बना हुआ था किन्तु उस रास्ते के अस्तित्व में होने के बावजूद खसरा नम्बर 351/2 अलग से रास्ता बना दिया है जो कि पूर्णतया गलत तरीके से बना दिया इसके अलावा खसरा नम्बर 366/1 अपीलार्थीगण को तकासमें में दिया है जिसमें जाने का कोई रास्ता नही दिया गया। प्रस्तुत कुर्रेजात पर ना तो राजस्व मण्डल के विभाजन नियमों के अनुसार पेश की गई है ना ही उस पर पक्षकारो से कोई आपत्ति ली गई है ना ही उसको देखा गया है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण दोनों की उपस्थिति में केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर जो निर्णय पारित किया गया है वह निरस्त होने योग्य है। अपीलार्थी को उक्त निर्णय व अंतिम डिक्री की कोई जानकारी नही हो पाई। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने राजस्व कैम्प की जनरल तारीख 12/07/2016 बताई थी। दिनांक 12/07/2016 को न्यायालय में आने पर जनरल तारीख 06/09/2016 बता दी गई। दिनांक 06/09/2016 के पूर्व नकल चाहने पर पत्रावली देखने पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

दिनांक 01/09/2016 को नकल मिलने पर उक्त तथ्यों की पहली बार जानकारी हुई उससे पूर्व अपीलार्थीगण को उक्त निर्णय व डिक्री की कोई जानकारी नही थी इस कारण जानकारी के आधार पर अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है लेकिन तकनीकी कारणों से बचने के लिये दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है।अपीलान्टस द्वारा अनुतोष चाहा गया है कि अपील मन्जुर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 24/05/2016 को अपास्त किया जावे तथा प्रकरण में अपीलार्थी को अपना पक्ष, जवाब दावा पेश करने व सुनवाई का अवसर दिलाया जावे।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

5–अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दौराहते हुऐ कथन किया गया कि दिनांक 24–5–2016 को ही कुर्रेजात रिपोर्ट पेश हुई तथा उसी दिन अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री जारी कर दिया गया।अपीलान्ट्स को कुर्रेजात पर आपत्ति करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है। मुख्य सडक पर स्थित भूमि रेस्पोडेन्टस को दे दी गई है। खसरा नम्बर 353/2 पर अपीलान्ट्स का कब्जा है। जिसे रेस्पोडेन्टस को दिया गया है तथा खसरा नम्बर 366/1 में आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं दिया गया है अतःअपील स्वीकार की जाकर प्रकरण को पुनः निर्णय हेतु रिमाण्ड किया जावे।

6–अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा विभाजन का था तथा प्राथमिक डिक्री वादीगण की सहमति से जारी की गई है।कुर्रेजात रिपोर्ट भी उभय पक्ष के समक्ष तैयार की गई है तथा अपीलाधीन निर्णय न्यायोचित है तथा उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से प्रस्तुत अपील मात्र प्रकरण को लम्बित रखने के उद्वेश्य से प्रस्तुत की गई है जो कि खारिज योग्य है।

7– उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अवलोकन किया गया।वादीगण द्वारा यह कथन करते हुए दावा बाबत विभाजन प्रस्तुत किया गया था कि वादग्रस्त भूमि को पक्षकारान ने आपसी सहमति से मोके पर विभाजित कर रखा है तथा उसी अनुसार काश्त करते आ रहे है। विधिवत तकासमा नहीं होने से वादीगण द्वारा भूमि का हक हिस्सा व कब्जा अनुसार विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 16–06–2015 को अपीलान्ट्स वादीगण की सहमति से प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। उक्त प्राथमिक डिक्री में बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिये गये है। दिनांक 24–05–2016 को प्रकरण में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उक्त रिपोर्ट में यह अंकन किया गया है कि "प्राथमिक डिक्री की पालना में बाई मीटस एण्ड बाउण्ड्स यथा संभव वादी प्रतिवादीगण के कब्जे अनुसार मौके पर पक्षकारान को सूचित कर नक्शे कुर्रेजात तैयार किये गये है। वादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

प्रतिवादीगण द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये है।'' इस प्रकार उक्त रिपोर्ट उभयपक्ष की मौजूदगी में तैयार की गई है। पत्रावली को कैम्प में रखे जाने हेतु उभयपक्ष को नोटिस जारी किये गये है जो तामील शुदा पत्रावली पर उपलब्ध है। इस प्रकार अपीलान्ट्स द्वारा किया गया यह कथन कि न्याय आप के द्वार अभियान के कैम्प में उपस्थित होने बाबत उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई है, मिथ्या है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय में उल्लेख किया गया है कि '' पत्रावली कैम्प देहलाला में पेश हुई पक्षकारान व वकील वादी उपस्थित है। कुर्रेजात रिपोर्ट पेश हुई जो संलग्न है कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन पक्षकारान को कराया गया तो पक्षकारान द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन कर सही होना जाहिर कर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दावा डिक्री किया जाना जाहिर किया गया, वकील वादी की बहस पर गौर किया व कुर्रेजात रिपोर्ट व पत्रावली का परिशीलन किया गया तो कुर्रेजात प्राथमिक डिक्री के अनुरूप पाये गये।'' उक्त उल्लेख से स्पष्ट है कि पक्षकारान द्वारा कुर्रेजात प्रस्तावों पर सहमति प्रकट की गई है तथा वादीगण के अधिवक्ता मौके पर उपस्थित रहे है उनके द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत किये जाने का साक्ष्य अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नही है। इस प्रकार उभयपक्ष को सुना जाकर अपीलाधीन अंतिम निर्णय व डिक्री जारी किया गया है। अपीलान्ट्स का यह कथन कि उन्हें आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है अनुचित है क्योंकि अपीलान्ट्स अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण थे तथा उनके अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे है। इस प्रकार प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान को नोटिस जारी कर कैम्प हेतु सूचित किया गया है, उभयपक्ष के समक्ष कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गई है, वादीगण अपीलान्ट्स द्वारा रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है तथा उनके अधिवक्ता को सुना जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। उपर्युक्त विवेचन से अपीलान्टस द्वारा अपनी अपील में लिये गये आधार उचित नही है। मात्र प्रकरण को लम्बित रखे जाने के उद्वेश्य से अपील प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई विधिक त्रुटि कारित किया जाना दृष्टिगोचर नहीं होता है तथा उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अपील खारिज किये जाने योग्य है।

8– अतः अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 24–05–2016 यथावत रखे जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9– निर्णय आज दिनांक 12–01–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
जयपुर